

# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दूदू

बदजलास :- प्रकाश राजपुरोहित ( आई ए एस )

प्रकरण संख्या 05 / 2024 ( मुन्तकिल प्रार्थना पत्र )

त्रिपुरशरीलाल पुत्र श्री भवर्लाल शर्मा जाति बागडा ब्राहमण निवासी 19/1, आरएनटी मार्ग, सयोगिता गंज, छावनी इन्दौर, मध्यप्रदेश हाल निवासी 15, शर्मा एन्कलेव गिरधर नगर के पास, इन्दौर, मध्यप्रदेश पिन 452018

( प्रार्थी )

बनाम

1. श्री बलवीर सिंह, उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद जिला जयपुर हाल जिला दूदू ।
2. महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री अरुण कुमार शर्मा जाति बागडा ब्राहमण निवासी मकान नं० 42, सज्जन मिल रोड, गुजराती स्कूल के सामने, रतलाम मध्यप्रदेश हाल निवासी म०न० 6/1, की सी.आई. रटफ कॉलोनी, बिरला ग्राम, नागदा, मध्यप्रदेश ।
3. नूतन शर्मा पुत्र श्री नारायण जाति बागडा ब्राहमण निवासी ए-57 कवीरा अपार्टमेन्ट के सामने, टीला जमालपुर, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
4. लालित शर्मा पुत्र श्री नारायण शर्मा, जाति बागडा ब्राहमण, निवासी ए-57 कवीरा अपार्टमेन्ट के सामने टीला जमालपुर, भोपाल मध्यप्रदेश ।
5. उषा शर्मा पुत्री श्रीनारायण शर्मा पत्नी कैलाश शर्मा, जाति बागडा ब्राहमण निवासी म०न० 231, गली नं० 30, नन्दानगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश ।
6. संतोष पुत्री श्री अरुण शर्मा पत्नी श्री सदाशिव शर्मा, निवासीयान म०न० 42, सज्जन मिल रोड, गुजराती स्वीट्स के सामने, रतलाम मध्यप्रदेश, हाल निवासी म०न० 6, करुणाधाम आश्रम, हजूर सी.टी.टी. नगर, भोपाल मध्यप्रदेश ।



जिला कलक्टर  
दूदू (राज०)

7. राजेज शर्मा पुत्री अरुण शर्मा पत्नी श्री श्याम सुन्दर शर्मा निवासी म.न. 42, राजान मिल रोड, गुजराती स्वीट्स के सामने, रतलाम, मध्यप्रदेश हाल निवासी 110न10 535 गज घाट, लाल दरवाजा, मथुरा, उत्तरप्रदेश।
8. अनिता शर्मा पुत्री श्री अरुण शर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार जाति बागडा ब्राहमण, निवासी म. न. 42, राजान मिल रोड, गुजराती स्वीट्स के सामने, रतलाम, मध्यप्रदेश हाल निवासी 110न10 1092/31, गली न10 4 लक्ष्मण विहार फेज, गुडगांव, हरियाणा।
9. दिव्या शर्मा पत्नी सुशील शर्मा उर्फ गोपाल शर्मा
10. आकाशा शर्मा पुत्री सुशील शर्मा उर्फ गोपाल शर्मा
11. अप्रित शर्मा पुत्र सुशील शर्मा उर्फ गोपाल शर्मा सम्स्त जाति ब्राहमण निवासी म.न. 42, राजान मिल रोड, गुजराती स्वीट्स के सामने, रतलाम, मध्यप्रदेश
12. अमित शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा
13. सुमित शर्मा पुत्र मोहनलाल शर्मा जाति ब्राहमण म0न0 22, व्यास कलां सागर, पब्लिक स्कूल के पास, जूनी रोड, मध्यप्रदेश।
14. रामस्वरूप पुत्र श्री लक्ष्मण देव पत्नि श्री जुगल किशोर शर्मा जाति बागडा ब्राहमण निवासी डी- 39 जगनपथ चौमू हाउस, जयपुर।
15. रामेश्वरी पुत्री श्री लक्ष्मण देव शर्मा पत्नी श्री हरिनारायण जाति बागडा ब्राहमण निवासी गढ के पीछे, बगरु जिला जयपुर।
16. लोष शर्मा पुत्र स्व. प्रेमलता पत्नी श्री रामोतार जाति बागडा ब्राहमण, निवासी प्लाट न. डी - 39 जगनपथ, चौमू हाउ, जयपुर।
17. विपुल शर्मा पुत्र स्व. प्रेमलता पत्नी श्री रामोतार जाति बागडा ब्राहमण, निवासी प्लाट न. डी - 39 जगनपथ, चौमू हाउ, जयपुर।
18. सुमन शर्मा पुत्री स्व. श्री लक्ष्मण देव शर्मा पत्नी देवेन्द्र कुमार शर्मा, जाति बागडा ब्राहमण, निवासी प्लाट न. 1299, जमुना डेयरी, सोडाला जयपुर।
19. लोकेन्द्र देव पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण देव शर्मा जाति बागडा ब्राहमण, निवासी मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर हाल जिला दूदू ।
20. लोकेश देव पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण देव, जाति बागडा ब्राहमण, निवासी मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर हाल जिला दूदू ।



भर  
जिला कलेक्टर  
दूदू (राज0)

(३)

21. गीता देवी पुत्री श्री कल्याणमल पत्नी श्री पूरणमल, जाति बागडा ब्राहमण, निवासी शनि मंदिर के पास, गुण्डलेश्वर वार्ड, खण्डवा मध्यप्रदेश।
22. किरण शर्मा पुत्री श्री रामचन्द्र पत्नी श्री कैलाश जाति बागडा ब्राहमण निवासी प्लाट न. 63, जमुना डेयरी, सोडाला, जयपुर।
23. तहसीलदार तहसील कार्यालय मौजमाबाद जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
24. उप पंजीयक मौजमाबाद जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
25. आयुषी शर्मा पुत्री श्री सुशील शर्मा उर्फ गोपाल शर्मा पत्नी अमित जैन निवासी म.न. 6 मुर्गी बाजार, श्याहजानबाद, हूजरी, भोपाल, मध्यप्रदेश।
26. ग्राम पंचायत मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद।
27. गोविन्द पुत्र भंवरलाल शर्मा, जाति बागडा ब्राहमण, निवासी 19/1 आर.एन.टी. मार्ग, संयोगिता गज छावनी, इन्दौर, मध्यप्रदेश हाल निवासी 15, शर्मा एन्कलेव, गिरधर नगर के पास, इन्दौर मध्यप्रदेश।
28. विजयलक्ष्मी पुत्री भंवरलाल पत्नी श्री सत्यनारायण शर्मा जाति बागडा ब्राहमण निवासी प्लाट न0 44 शिल्प कॉलोनी, झोटवाडा, जयपुर।
29. रमेश पुत्र श्री भंवरलाल शर्मा, जाति बागडा ब्राहमण निवासी 19/1 आर.एन.टी. मार्ग, संयोगिता गज छावनी, इन्दौर, मध्यप्रदेश हाल निवासी 15, शर्मा एन्कलेव गिरधर नगर के पास, इन्दौर मध्यप्रदेश।


(अप्रार्थीगण)

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद में विचाराधीन अपील संख्या 05/2023 बउनवानी महेंद्र वनाम ललित व अन्य को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित करने बाबत।

उपस्थित :-

1. श्री प्रमोद जैन अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री कृष्णकुमार पारीक अधिवक्ता अप्रार्थी 2



जिला कलेक्टर  
दूदू (राज0)

निर्णय

दिनांक : 24.07.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 05/2023 बलनगानी महेन्द्र व अन्य बनाम ललित व अन्य उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद के समक्ष विचारार्थीन है। पीठासीन अधिकारी महोदय ने अत्याधिक रूचि दिखाते हुए छोटी छोटी पेशियां नियत करते हुए दिनांक 04.04.2024 नियत कर उक्त प्रकरण को आवश्यक रूप से अंतिम बहस हेतु नियत कर दिया है। प्रार्थी को उनसे न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। पीठासीन अधिकारी प्रकरण का निर्णय विपक्षी के पक्ष में करने पर सख्त आमादा है। पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का अनुरोध किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की तरफ से श्री कृष्ण कुमार शर्मा अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मुन्तकिल में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी से अप्रार्थी 2 ने साठ गांठ कर रखी है। इस प्रकरण में अत्याधिक रूचि लेकर अप्रार्थी 2 व 3 के पक्ष में निर्णय करने पर आमादा है। पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य झूठे हैं। प्रार्थी ने प्रकरण में अनावश्यक रूप से विलम्ब करने के उद्देश्य से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी 2 को इस तरह के प्रार्थना पत्र पेश कर न्याय से वंचित किया जा रहा है। इसलिए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खरिज किया जावे। यदि श्रीमान इस प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करते हैं तो भी अप्रार्थी 2 को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 की बहस पर गौर पूर्वक मनन किया।

प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका



श्रीमान  
जिला कलक्टर  
दर (शाज01)

जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिए। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुत्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुत्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने भी अपनी में उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण करने पर अनापत्ति जाहिर की है। फलस्वरूप मुत्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद जिला दूदू के समक्ष विद्यारथीन प्रकरण अपील संख्या 05/2023 व उनवानी महेन्द्र व अन्य बनाम ललित व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू को अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 06.8.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी में उपस्थित हो। उपखण्ड अधिकारी फागी को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर यथासंभव एक माह में निस्तारण सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद व उपखण्ड अधिकारी फागी को प्रेषित हों। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर शुमार फ़ैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 24.7.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला कलक्टर  
जिल्ह दूदू कलक्टर  
दूदू (राज0)